

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2019 —श्रावण 9, शक 1941

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2019

क्र. एफ-19-3-2017-बारह-1.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

नियम 6-क में,—

उप नियम (2) खण्ड (क) उपखण्ड (चार) (ड) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(चार) (ड) खनन पट्टा हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12-1-2015 को या इसके पूर्व जारी किए गए आशय पत्रों की शर्तों के अनुपालन में पश्चात् उत्खनन पट्टा दिनांक 31-1-2020 तक स्वीकृत किए जाएंगे. इस दिनांक के पश्चात् ऐसे समस्त आवेदन स्वमेव अपात्र समझे जाएंगे.”

No. F-19-3-2017-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rule, 1996, namely :—

#### AMENDMENTS

In rule 6-A,—

In place of sub clause (iv) (e) of clause (a) of sub rule (2) the following sub clause shall be substituted nemely :—

(iv) (e) After the compliance of conditions prescribed in letter of intent issued by the State Government for mining lease on date 12-1-2015 or prior to it, quarry lease shall be sanctioned till the date 31-1-2020. After this date, such all applications shall deem to be ineligible.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सरिताबाला ओम प्रजापति, उपसचिव.